मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल

मल्टीपोस्ट एवं मल्टीसीट ई.व्ही.एम. का प्रयोग

- त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन एवं नगरीय निकाय निर्वाचन वर्ष 2014–15 हेतु मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन तथा अध्यक्ष, महापौर एवं पार्षद के निर्वाचन का कार्य ई.व्ही.एम. के द्वारा कराये जाने का निर्णय लिया है।

- ई.व्ही.एम. का निर्माण, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा करवाया है।

- आयोग द्वारा ई.सी.आई.एल, हैदराबाद से 55,200 कंट्रोल यूनिट तथा 1,64,160 बैलेट यूनिट का क्रय किया गया।

- मतगणना के समय कंट्रोल यूनिट के प्रदर्शन खण्ड के कार्य न करने की स्थिति में आयोग द्वारा परिणाम प्राप्त किए जाने हेतु 120 ADU (Auxilliary Display Unit) एवं 53 नग प्रिंटर्स भी क्रय किए गए।

- यह ई.व्ही.एम. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन में प्रयोग में लायी जा रही वोटिंग मशीन से बनावट और तकनीकी दृष्टि से भिन्न और परिचालन में अलग है। इस प्रकार, मध्यप्रदेश, स्थानीय निकायों के निर्वाचन में, नवीन तकनीक वाली ई. व्ही.एम. का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह नवीन विकसित मशीन, एक ही नियंत्रण यूनिट से स्थानीय निकाय चुनाव में बहुपदीय तथा बहुस्थान (जिसमें उम्मीदवारों में से एक से अधिक उम्मीदवारों का चयन) के निर्वाचन के लिये एक विश्वसनीय प्रणाली है।

- इस मशीन की निम्नलिखित विशेषताएं है :–
  - यूनिक/अद्वितीय क्रम संख्या
  - रियल टाइम क्लॉक (आर.टी.सी.)
  - समय मुद्रांकन
  - टाईम लॉगिंग
  - अल्फा न्यूमेरिक डिस्प्ले
  - वार्ड क्रमांक एवं मतदान केन्द्रों का क्रमांक
  - टैंपर संसूचक
  - लेजर मार्किंग
  - पी.सी.बी. का संस्थापन
  - पॉटिंग
  - बैटरी पॉवर स्टैटस
  - प्रिंट
  - ब्रैली
  - डीटैचेबल मेमोरी मॉड्यूल (डी.एम.एम.)

- राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष रूप से बनवाई गयी ई.व्ही.एम. नियंत्रण इकाई का एक विशिष्ट पहचान क्रमांक होता है जिसको निर्माता के द्वारा नियंत्रण इकाई के पृष्ठ भाग पर उत्कीर्ण कर लगाया गया होता है, एवं यह विशिष्ट क्रमांक लेजर मार्किंग कर बार कोड के रूप में भी पीछे मुद्रित होता है।

- मतदान बटनों के सम्मुख ब्रेल लिपि में क्रमांक भी लिखे हैं जिसका उपयोग, ब्रेल साक्षर दृष्टि बाधित मतदाता, वांछित प्रत्याशी के क्रम की पहचान हेतु कर सकता है। इस मतदान इकाई में एक''टैंपर सेन्सर'' भी लगा है, किसी छेड़छाड़ की दशा में सभी बटनों के सम्मुख लगे लाल लैम्प एक साथ जल उठते हैं।
- इसकी भीतर निर्मित रियल टाइम घड़ी और बैट्री की स्थिति दर्शाने वाली सुविधा शामिल है। दिनांक और डाले गए प्रथम और अंतिम मत का समय बताने के साथ साथ, यह इकाई प्रयोग की जा रही बैट्री की उपलब्ध क्षमता भी बताती है।
- प्रत्येक ई.व्ही.एम. की अपनी आंतरिक मेमोरी तो होती ही है, डी.एम.एम, एक समानांतर मेमोरी भंडार के रूप में काम करता है। किसी नियंत्रण इकाई की ही तरह, प्रत्येक डीएमएम को निर्माता के द्वारा एक यूनिक पहचान क्रमांक दिया गया होता है। गणना कार्य पूरा कर लिए जाने के बाद, डीएमएम को निकाल कर, आवश्यकतानुसार अपेक्षित अवधि तक, सुरक्षित भंडारित रखा जा सकता है, और नियंत्रण इकाई के आंकड़े मिटा कर, नयी डीएमएम लगाकर, किसी दूसरे मतदान में वही नियंत्रण इकाई उपयोग में लायी जा सकती है। आवश्यकता पड़ने पर, मतदान उपरांत, इस प्रकार सुरक्षित रखी गयी डीएमएम को किसी भी नियंत्रण इकाई में लगा कर, संबंधित मतदान के आंकड़े देखे जा सकते हैं। डीएमएम के उपयोग से मतदान संबंधी आंकड़ों का संधारण सरल हो गया है और नियंत्रण इकाई नए मतदान के लिए सहजता से उपलब्ध होता है।
- कंट्रोल यूनिट एवं बैलेट यूनिट के कैरी–केस का रंग भारत निर्वाचन आयोग की कंट्रोल यूनिट एवं बैलेट यूनिट के कैरी–केस के रंग से अलग है।
- ई.व्ही.एम. के भण्डारण, परिवहन एवं सुरक्षा के संबंध में विस्तृत प्रोटोकॉल का निर्धारण किया गया है। प्रत्येक जिले में ई.व्ही.एम. के सुरक्षित भण्डारण हेतु एक स्टोररूम बनाया गया है। ई.व्ही.एम. के चतुर्मासिक भौतिक सत्यापन की व्यवस्था की गई है।

ई.व्ही.एम. ट्रैकिंग एवं मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर

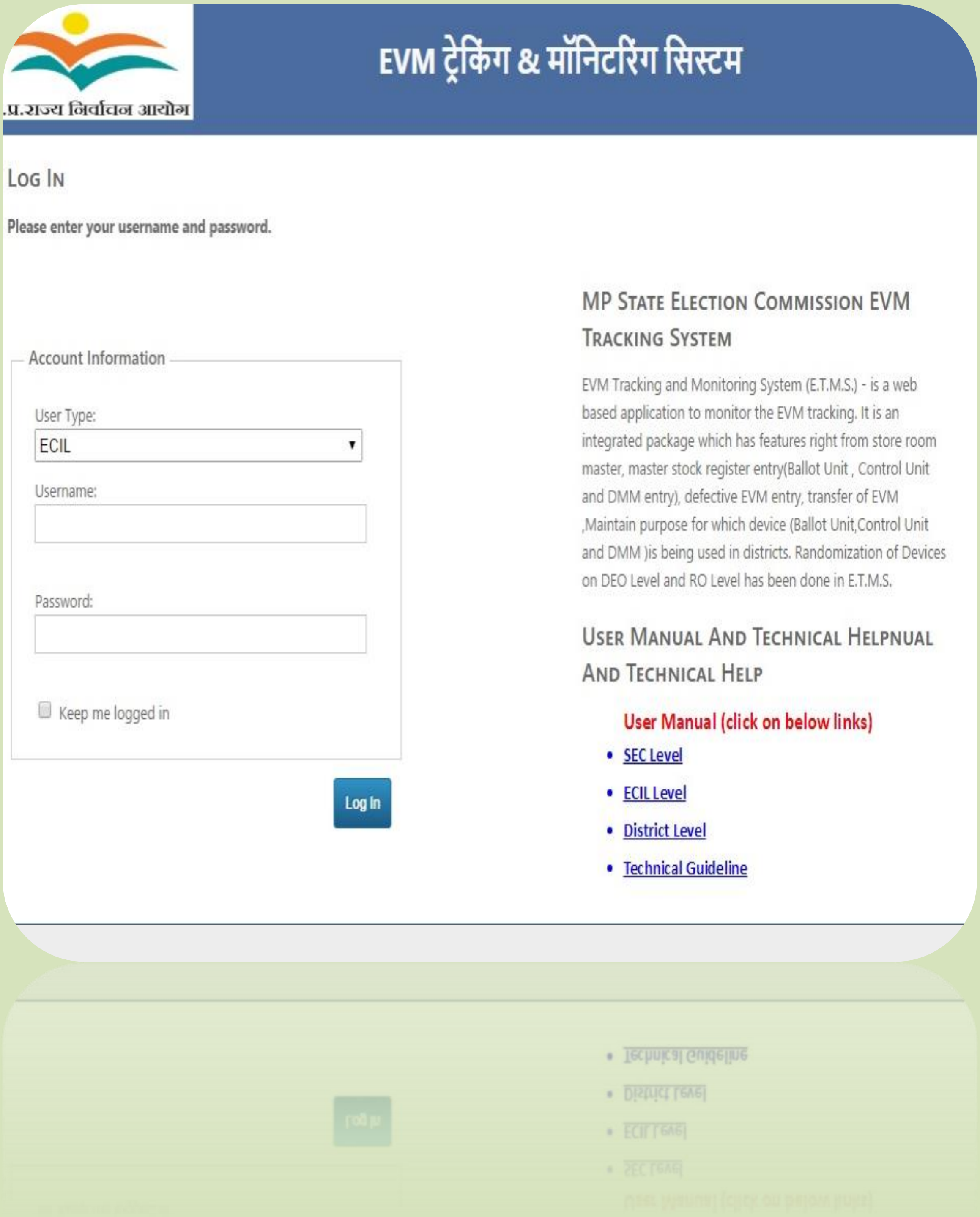

- ई.व्ही.एम. का उपयोग ऑनलाईन एप्लिकेशन ETM (EVM Tracking & Monitoring Application) के माध्यम से किया जाता है। रेण्डमाईजेशन भी इसी एप्लिकेशन के माध्यम से सम्पन्न किया जाता है।

- ETM से निम्नलिखित ऑनलाईन जानकारी प्राप्त की जा सकती है :–
  - जिलेवार ई.व्ही.एम. स्टोर रूम,
  - जिलेवार उपलब्ध डिवाईस (ई.व्ही.एम.) आई.डी. सहित,
  - प्रथम स्तरीय जांच (एफ.एल.सी.) उपरांत अच्छी एवं खराब ई.व्ही. एम. की स्थिति,
  - ई.व्ही.एम. चतुर्मासिक भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन,
  - मतदान में उपयोग में लाई गई ई.व्ही.एम. और डी.एम.एम.,